धारा अन्तर्गत 88, 89 RT ACT 1955
उनवान हरफूल बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 107 दिनांक 26.02.2021
निर्णय दिनांक 08.04.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
107 / 2021	26.02.2021	08.04.2025

बउनवान

1. हरफुल पुत्र लटूर जाति जाट निवासीी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीराम पुत्र लटूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. शौभाराम पुत्र लटूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. जयराम पुत्र लटूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. मनफूल बनाम लटूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री धर्मवीर बडसीवाल :— वादी अधिवक्ता

वादी के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी हाल खाता स0 780 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 79 रकबा 0.39 हैक0, 89 रकबा 0.18 हैक0, 93 रकबा 0.24 हैक0, 96 रकबा 0.35 हैक0, 101 रकबा 0. 19 हैक0, 106 रकबा 0.14 हैक0, 110 रकबा 0.25 हैक0, 112 रकबा 0.24 हैक0, 115 रकबा 0.25 हैक0, 116 रकबा 0.16 हैक0, 123 रकबा 0.37 हैक0, 132 रकबा 0.25 हैक0, 136 रकबा 0.21 हैक0, 139 रकबा 0.30 हैक0, 141 रकबा 0.20 हैक0, 145 रकबा 0.18 हैक0, 149 रकबा 0.43 हैक0, 150 रकबा 0.78 हैक0, 158 रकबा 0.49 हैक0, 160 रकबा

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

0.51 हैक्0, व खाता स0 781 में वर्णीत हाल ख0 न0 127 रकबा 0.06 हैक0, 722 रकबा 0.30 हैक्0, वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर में स्थित है। जिसके वादीगण व प्रतिवादी स01 काश्तकार खातेदार दर्ज है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

2. यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी में मिन वादी स0 1 का 1/3 भाग, व मिन वादी स0 2 ल0 4 का 1/4, 1/4, 1/4 भाग दर 2/3 हिस्सा है, जो आराजी मिन वादीगण की पैत्रिक कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जिस आराजी पर मिन वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधि0 व बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागू होने के दिन से पूर्व से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण के नाम का अंकन साकिन देह खातेदार दर्ज चला आ रहा है तथा मिन वादीगण आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के नाम का अंकन साकिन देह दर्ज हो रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण स0 1 ल0 3 के नाम का अंकन बकाश्त हरफूल, श्रीराम, शौभाराम शिकमी साल 29 साल दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादीगण व प्रतिवादी स0 2 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है, इसलिए राजस्व रिकॉड में दर्ज बकाश्त हरफूल श्रीराम, शोभाराम शिकमी साल 29 को हजफ कर, मिन वादीगण को हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

4. यह है कि विवादित आराजी मिन वादीगण पैत्रिक खातेदारी की आराजी रही है, तथा मिन वादीगण व प्रतिवादी स0 2 के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में खातेदारी में दर्ज हो रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हम वादीगण स0 1 ल0 3 के नाम का अंकन बकाश्त हरफूल, श्रीराम, शौभाराम शिकमी साल 29 साल दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादीगण व प्रतिवादी स0 2 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है।

5. यह है कि मिन वादीगण को राजस्व रिर्कोड में दर्ज बकाश्त शिकमी की जानकारी नही थी, लेकिन अब दिनांक 9/6/2020 को मिन वादीगण आराजी का बंटवारा

सहायक कलेक्टर (फा0टे0)
मुण्डावर (खेरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कराने हेतु राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त अंकन की जानकारी, जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादीगण स0 1 से राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 1 ने असमर्थता जाहिर करते हुये सक्षम अदालत से दूरूस्त कराने बाबत कहा, बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

6. यह है कि आराजी मिन वादीगण की पैत्रिक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा मिन वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकॉड में खातेदारी में हो रहा है, लेकिन राजस्व रिकॉड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बकाश्त हरफूल, श्रीराम, शौभाराम शिकमी साल 29 साल दर्ज दिया, जबकी मिन वादीगण व ११म प्रतिवादी स० 2 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है, तथा उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से मिन वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा मिन वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है।

7. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 9/6/2020 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजस्व रिकॉड दूरूस्त कराने से मना करने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती का पेश किया जा रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को वाद में पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है तथा दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये ही दावा पेश करने की इज्जाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः 11. अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बरिखलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

धारा अन्तर्गत 88, 89 RT ACT 1955
उनवान हरफूल बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 107 दिनांक 26.02.2021
निर्णय दिनांक 08.04.2025

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर, आराजी हाल खाता स० 780 में वर्णीत हाल ख०नम्बरान 79 रकबा 0.39 हैक0, 89 रकबा 0.18 हैक0, 93 रकबा 0.24 हैक0, 96 रकबा 0.35 हैक0, 101 रकबा 0.19 हैक0, 106 रकबा 0.14 हैक0, 110 रकबा 0.25 हैक0, 112 रकबा 0.24 हैक0, 115 रकबा 0.25 हैक0, 116 रकबा 0.16 हैक0, 123 रकबा 0.37 हैक0, 132 रकबा 0.25 हैक0, 136 रकबा 0.21 हैक0, 139 रकबा 0.30 हैक0, 141 रकबा 0.20 हैक0, 145 रकबा 0.18 हैक0, 149 रकबा 0.43 हैव0, 150 रकबा 0.78 हैक0, 158 रकबा 0.49 हैक0, 160 रकबा 0.51 हैक०, व खाता सं0 781 में वर्णीत हाल ख0न0 127 रकबा 0.06 हैक0, 722 रकबा 0. 30 हैक०, वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में दर्ज बकाश्त हरफूल, श्रीराम, शौभाराम शिकमी साल 29 साल के अंकन को हजफ कर, हम वादीगण को हिस्सेनुसार आराजी का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर, राजस्व रिकॉड दूरुस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावें।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी 01 ने जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है। प्रतिवादी वकील ने वादी के वाद को डिक्री किये जाने हेतु सहमती प्रदान की।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रति पेश की

वादी अधिवक्ता ने वादी के वाद के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि विवादित आराजी में वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादीगण के नाम के पिछे मनफूल पुत्र जयराम निस्फ शिकमी साल 16.5 दर्ज है। विवादित आराजी में अपने हिस्से अनुसार वादीगण कब्जेकाश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार बकाश्त/शिकमी का कोई अधिकार नही होता है, केवल खातेदार का ही अधिकार है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ने वादी के वाद को डिक्री किये जाने हेतु सहमती प्रदान की।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद को स्वीकार जाकर अविव. मनफूल को कलमजन किया जावें।

वादीया के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में वादीगण का नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त आराजी में अंकित अ.वि.व मनफूल प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा वादी के वाद को डिक्री किये जाने हेतु सहमती प्रदान की। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज शिकमी को कोई खातेदार होने हक अधिकार नही है। इसलिए वादीगण का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाकर ख० नम्बरान 79 रकबा 0.39 हैक0, 89 रकबा 0.18 हैक0, 93 रकबा 0.24 हैक0, 96 रकबा 0.35 हैक0, 101 रकबा 0.19 हैक0, 106 रकबा 0.14 हैक0, 110 रकबा 0.25 हैक0, 112 रकबा 0.24 हैक0, 115 रकबा 0.25 हैक0, 116 रकबा 0.16 हैक0, 123 रकबा 0.37 हैक0, 132 रकबा 0.25 हैक0, 136 रकबा 0.21 हैक0, 139 रकबा 0.30 हैक0, 141 रकबा 0.20 हैक0, 145 रकबा 0.18 हैक0, 149 रकबा 0.43 हैव0, 150 रकबा 0. 78 हैक0, 158 रकबा 0.49 हैक0, 160 रकबा 0.51 हैक०, ख0न0 127 रकबा 0.06 हैक0, 722 रकबा 0.30 हैक०, वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अंकित अ.विव. को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
107 / 2021	26.02.2021	08.04.2025

बउनवान

1. हरफुल पुत्र लदूर जाति जाट निवासीी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीराम पुत्र लदूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. शौभाराम पुत्र लदूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. जयराम पुत्र लदूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. मनफूल बनाम लदूर जाति जाट निवासी बालकिशन की ढाणी तन ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से श्री धर्मवीर बडसीवाल एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.04.2025 को श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:—

खo नम्बरान 79 रकबा 0.39 हैक0, 89 रकबा 0.18 हैक0, 93 रकबा 0.24 हैक0, 96 रकबा 0.35 हैक0, 101 रकबा 0.19 हैक0, 106 रकबा 0.14 हैक0, 110 रकबा 0.25 हैक0, 112 रकबा 0.24 हैक0, 115 रकबा 0.25 हैक0, 116 रकबा 0.16 हैक0, 123 रकबा 0.37 हैक0, 132 रकबा 0.25 हैक0, 136 रकबा 0.21 हैक0, 139 रकबा 0.30 हैक0, 141 रकबा 0.20 हैक0, 145 रकबा 0.18 हैक0, 149 रकबा 0.43 हैक0, 150 रकबा 0.78 हैक0, 158 रकबा 0.49 हैक0, 160 रकबा 0.51 हैकo, ख0न0 127 रकबा 0.06 हैक0, 722 रकबा 0.30 हैकo, वाके ग्राम ततारपुर तहo मुण्डावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अंकित अ.विव. को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0टै0)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner